(दिनांक 02.04.2016 के एंप्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशनार्थ)

कर्मचारी चयन आयोग

परीक्षा की तिथि : 19.06.2016

अंतिम तिथि : भाग-I पंजीकरण के लिए 28.04.2016(अपराह्न 5.00 बजे तक) और भाग-II पंजीकरण के लिए 30.04.2016(अपराह्न 5.00 बजे तक)

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है "।

विज्ञप्ति

कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक की संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2016

फा.सं. 3/07/2015 नी. व यो.।। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक और हिन्दी प्राध्यापक के पदों की भर्ती के लिए दिनांक 19.06.2016 को एक अखिल भारतीय खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी :-

पदों के ब्यौरे (वेतन बैंड-9300/- रुपए से 34800/- रुपए)

कोड	पद का नाम	ग्रेड वेतन
ए	केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के.स.रा.भा.से.) में कनिष्ठ अनुवादक	4200/- रुपए
बी	रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में कनिष्ठ अनुवादक	4200/- रुपए
सी	सशस्त्र सेना मुख्यालय (ए एफ एच क्यू) में कनिष्ठ अनुवादक	4200/- रुपए
डी	अधीनस्थ कार्यालय, जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक/ कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को स्वीकार किया है, में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	4200/- रुपए
ई	केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों /विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	4600/- रुपए
एफ	अधीनस्थ कार्यालय, जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है,में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	4200/- रुपए
जी	केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान (के.हि.प्र.सं.) में हिन्दी प्राध्यापक	4800/- रुपए

पदों का वर्गीकरणः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.04.2009 के आदेश संख्या 11012/7/2008-स्थापना(क) के अनुसार, वेतन बैंड-2 में, 9300/-रुपए-34800/- रु. के वेतन मान में 4800/-रुपए, 4600/- रुपए और 4200/- रुपए के ग्रेड वेतन वाले केन्द्रीय सिविल पदों को समूह-'ख' अराजपत्रित पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2. रिक्तियांः

रिक्तियों की निश्चित संख्या बाद में निर्धारित की जाएगी।

3. आरक्षण

अजा/अजजा/अपिव/शा. दि. (अर्थात् दिव्यांग व्यक्तियों) श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार उपलब्ध है ।

3(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक/कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), एक बांह एवं पैर (ए.बां. एवं पै), दोनों पैर (दो.पै.), दोनों पैर एवं एक बांह (दो.पै.एवं ए; बां), नेत्रहीन (ने), अल्प दृष्टि (अ.दृ) और श्र.दि. (श्रवण दिव्यांग) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं।

3(ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हिन्दी प्राध्यापक का पद एक बांह (ए बां), एक पैर (ए.पै), एक बांह एवं पैर (ए.बां. एवं पै), दोनों पैर (दो.पै.), नेत्रहीन (ने.) और अल्प दृष्टि (अ.दृ) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाया गया है।

4. <u>राष्ट्रीयता/नागरिकताः</u>

अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया ,मालावी,ज़ायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।

ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।

5(क) <u>आयु सीमाः</u> 01.01.2016 को 30 वर्ष से अधिक नहीं ।

टिप्पणी ।: अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5(ख) उपरोक्त पैरा 5(क) के अंतर्गत निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट । 01.01.2016 को आयु छूट का दावा करने के लिए श्रेणी कोड :-

आयु छूट कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1	अजा/अजजा	05 वर्ष
2	अ पि व	03 वर्ष
3	शा दि	10 वर्ष
4	शा दि + अपिव	13 वर्ष
5	शा दि + अजा / अजजा	15 वर्ष

6.	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/सामान्य)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7	भूतपूर्व सैनिक(अपिव)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
8	भूतपूर्व सैनिक(अजा और अजजा)	आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
12	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (सामान्य /अनारक्षित)जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	5 वर्ष
13	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अपिव) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	8(5+3)वर्ष

14	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	10(5+5)वर्ष
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अनारक्षित /सामान्य)	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा/अजजा)	10 वर्ष
27	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अनारक्षित /सामान्य)	05 वर्ष
28	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ पि व)	08(5+3) वर्ष
29	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	10 (5+5)वर्ष

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं । तथापि, वे उत्तरवर्ती नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते है यदि वे सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के बाद तुरन्त विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त,2014 के का.ज्ञा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले रिक्तियों के लिए आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वतः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है ।

सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी ।

भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना मे लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या

(ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी ; अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए है और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन मिली हुई है; अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल,1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा

(v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा

(vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है ।

6 प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुपः

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र तब प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाएं । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव /शादि/ भूपूसै

स्थिति के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/ आवेदन पत्रों को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों का प्रारुप संलग्न है ।किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्रीमी लेयर प्रस्थिति में अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख से पूर्व तीन वर्ष के भीतर प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। आयोग ने आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् जारी लेकिन अंतिम तिथि के पश्चात् 180 दिनों तक विहित प्रारुप में जारी अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्र को भी स्वीकार करने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, केवल 01.05.2013 से 27.10.2016 तक जारी अन्य पिछडे वर्ग प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। यदि अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख 01.05.2013 से पूर्व या 27.10.2016 के पश्चात् है तो अभ्यर्थी को अनारक्षित (अना) अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा।

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/ अपिव / भूपूसै/ शा.दि. दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है।

चालीस प्रतिशत और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा मुहैआ किए जाने वाले प्रलिपिक की सहायता का लाभ उठा सकते हैं बशर्ते कि आवेदन पत्र में प्रलिपिक के लिए अनुरोध किया गया हो ।

परीक्षा परिसर के अन्दर अभ्यर्थियों के साथ किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

<u>अतिरिक्त समय का प्रावधान</u> : दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थियों को परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसका ब्योरा "परीक्षा की योजना'' शीर्षक के पैरा-11 के अन्तर्गत दिया गया है

चालीस प्रतिशत से कम की दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा । एक आँख वाले और आंशिक रूप से दृष्टिहीन अभ्यर्थी <u>जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सभी अभ्यर्थियों के लिए तैयार किए गए सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं</u> और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे । ऐसे अभ्यर्थियों को <u>परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स</u> (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

7. *शैक्षिक योग्यता : (01.01.2016 को)*

<u>पद कोड 'ए' से 'डी' के लिए</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रुप हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 02 वर्ष का अनुभव ।

<u>पद कोड 'ई' के लिए (केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक)</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री ; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी तथा हिन्दी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा परीक्षा के माध्यम के रुप में हिन्दी तथा अंग्रेजी माध्यम से हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय के साथ अथवा उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और अन्य अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय के रुप हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री ;

और

हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम अथवा भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य में 03 वर्ष का अनुभव ।

<u>पद कोड 'एफ' के लिए (अधीनस्थ कार्यालय, जिन्होंने कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निदर्श भर्ती नियमों को अभी तक स्वीकार नहीं किया है,में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक)</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिन्दी के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में मास्टर डिग्री

अथवा

मुख्य विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी (जिसमें अनिवार्य तथा वैकल्पिक शब्द सम्मिलित हैं) के साथ स्नातक की डिग्री

टिप्पणीः अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने बी.ए. पास पाठ्यक्रम के तीनों वर्ष अंग्रेजी एवं हिन्दी का मुख्य विषयों और न कि एक प्रश्नपत्र के रूप में अध्ययन किया हो।

पद कोड 'जी' के लिए (केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी प्राध्यापक)

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में स्नातक डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से शिक्षा में स्नातक उपाधि ।

या

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में मास्टर डिग्री + किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से शिक्षा में स्नातक उपाधि ।

वांछनीयः

केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था के अधीन वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हिन्दी अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई तकनीकी शिक्षा डिग्री/डिप्लोमा सहित समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो।

जिन अभ्यर्थियों ने 01.01.2016 को शैक्षिक योग्यता प्राप्त नहीं की है/जो इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे पात्र नही होगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्हता-प्राप्त घोषित सभी अभ्यर्थियों को 01 जनवरी, 2016 को अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संबद्ध मूल प्रमाण-पत्र जैसे अंक तालिकाएं/अनंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे । ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा ।

8. आवेदन कैसे करें: आवेदन केवल ऑन लाइन माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं। विस्तृत अनुदेशों के लिए अनुबंध-II क और अनुबंध-II ख देखें।

9. देय शुल्क 100/-रुपए (केवल एक सौ रुपए) के भुगतान का तरीका
अभ्यर्थी नोट करें कि केवल http://ssconline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदनों को ही स्वीकार किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन के संबंध में भा. स्टे. बैं. चालान/नेट बैंकिंग और किसी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार किया जाएगा।

सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के नियमों/अनुदेशों के अनुसार शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है ।

एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा।

10. क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरेः प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त न होने तथा अन्य शिकायतों, इत्यादि से संबंधित पत्रों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजा जाए, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैंः-

क्र.स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	वह पता जहां आवेदन भेजने हैं
1.	2.	3.
1.	इलाहाबाद (3003),	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23 लाऊदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
2.	कोलकाता(4410),पोर्ट ब्लेयर (4802), गंगटोक(4001), भुवनेश्वर(4604), रांची(4205)	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, निजाम पैलेस, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बैंगलूरु (9001), कोची(9204)	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल,"ई" विंग, केंद्रीय सदन,कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
4.	दिल्ली(2201), जयपुर(2405)	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.12,सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110504
5.	गुवाहाटी(दिसपुर)(5105)	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कम्प्लैक्स, वेस्ट एण्ड ब्लॉक, लास्ट गेट, बेलटोला वशिष्ठ रोड,दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006

6.	हैदराबाद(8002), चेन्नई(8201)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ईवीके सपंत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006
7.	मुम्बई(7204), पणजी(7801), अहमदाबाद(7001)	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	रायपुर(6204), भोपाल(6001)	उप-निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
9.	चण्डीगढ़(1601) जम्मू(1004),	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-167017

टिप्पणी-I : किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए ।आयोग केन्द्र में परिवर्तन के लिए केवल सशस्त्र बलों अथवा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित आवेदनों पर ही विचार करता है यदि संक्रियात्मक कारणवश उनकी तैनाती में बदलाव किया गया है।

टिप्पणी-II: आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे ।

11. परीक्षा की योजना :

लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी।

लिखित परीक्षा : लिखित परीक्षा 19.06.2016 को होगी और इसमें दो प्रश्न-पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए निर्धारित अधिकतम अंक तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि इस प्रकार होगी :

परीक्षा की तिथि	भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या/अंक	सामान्य अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/ समय	दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कुल अवधि/समय
19.06.2016	प्रश्नपत्र-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	(i)सामान्य हिंदी (ii)सामान्य अंग्रेजी	100/100अंक 100/100अंक	2 घण्टे 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.00 बजे दोपहर तक टिप्पणी: प्रातःकालीन पाली में 9.30 बजे	2 घण्टे 40 मिनट 10.00 बजे पूर्वाह्न से 12.40 बजे अपराह्न तक टिप्पणी: प्रातःकालीन

(रविवार)				पूर्वाह्न के पश्चात परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	पाली में 9.30 बजे पूर्वाह्न के पश्चात परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
	प्रश्नपत्र-।। (परंपरागत प्रकार)	अनुवाद और निबंध	200	2 घण्टे 02.00 बजे अपराह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक टिप्पणीः अपराह्न पाली में1.30 बजे अपराह्न के पश्चात परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।	2 घण्टे 40 मिनट 02.00बजे अपराह्न से 04.40 बजे अपराह्न तक टिप्पणीः अपराह्न पाली में 1.30 बजे अपराह्न के पश्चात परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयोग के पास लिखित परीक्षा को ऑनलाइन आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रश्नपत्र-। में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार- बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे । केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्रश्नपत्र ।। का मूल्यांकन किया जाएगा, जो आयोग के विवेकानुसार यथा निर्धारित प्रश्नपत्र-। में अथवा उसके भाग में न्यूनतम अर्हक मानक प्राप्त कर लेते है ।

प्रश्नपत्र-। में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

आयोग अपने विवेक से प्रश्नपत्र-।। में अर्हक अंक निर्धारित कर सकता है ।

किसी भी रुप में पक्ष प्रचार अभ्यर्थियों को गैर-अर्हक करेगा ।

लिखित परीक्षा के लिए निश्चयार्थ पाठ्यक्रमः

प्रश्नपत्र -।
(क) सामान्य हिंदी- 100 अंक(वस्तुनिष्ठ प्रकार)
(ख) सामान्य अंग्रेजी-100 अंक(वस्तुनिष्ठ प्रकार)

इसमें ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी के भाषा और साहित्य की समझ और शब्दों, मुहावरों तथा वाक्यांशों का सही प्रयोग करने, भाषा को सही, ठीक-ठीक तथा प्रभावशाली ढंग से लिखने में उनकी योग्यता को आंका जा सके । प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे ।

<u>प्रश्नपत्र-IIः</u>
अनुवाद और निबंध-200 अंक(परंपरागत प्रकार)ः

इस प्रश्नपत्र में अनुवाद करने के लिए 2 गद्यांश होंगे, जिसमें से एक गद्यांश का हिंदी से अंग्रेजी तथा एक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी तथा हिंदी में अलग से एक-एक निबंध लिखना होगा जिससे

अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, ठीक-ठाक एवं प्रभावशाली ढंग से लिखने एवं समझने में उनकी योग्यता का परीक्षण होगा ।

प्रश्नपत्र का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरूप होगा ।

12. <u>लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश</u>

अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से प्रश्नपत्र लिखने/उत्तर दर्शाने होंगे ।

अभ्यर्थियों को इस विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट साधनों को छोड़कर इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए, जिसके प्रयोग करने की अनुमति नहीं हैं ।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वायरलेस संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी तथा उन्हें 03 वर्षों तक के लिए आयोग की परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा ।

जहां कहीं लागू हो, अभ्यर्थियों को अपने उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दर्शाना/लिखना चाहिए । यदि उत्तर आंशिक रूप से हिन्दी में और आंशिक रूप से अंग्रेजी और विलोमतः दर्शाए/लिखे गए होंगे तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा ।

प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो,भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा ।

बहु-विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर प्रकार की उत्तर-पुस्तिकाएं दी जाएंगी । अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट(अभ्यर्थी का कोना) में दिए गए अनुदेशों तथा ओ एम आर पत्रक/प्रश्नपत्रों पर दिए गए अनुदेशों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लें । वेबसाइट पर मॉडल ओ एम आर पत्रक भी उपलब्ध है ताकि अभ्यर्थी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नपत्रों का उचित तरीके से उत्तर अंकित करने का अभ्यास कर सकें ।

ओ.एम.आर. उत्तर-पुस्तिका के भाग 'क' और भाग 'ख' को केवल गहरे काले बॉल प्वाइण्ट पेन से ही भरा जाए ।

अभ्यर्थियों को ओ एम आर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम,अनुक्रमांक, टिकट संख्या, प्रश्न बुकलेट क्रम संख्या संगत स्थानों पर सही-सही लिखना चाहिए । जिन उत्तर पुस्तिकाओं पर अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न बुकलेट क्रम संख्या और हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप तथा जिसमें ऐसे ब्योरों को उचित तरीके से शेड नहीं किया गया है तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा । इस प्रकार के विवरण/कोडिंग में गलती को आयोग परीक्षा में अनाचार अथवा छद्मवेषण करने का प्रथम दृष्टया प्रयास मानेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करें और यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त विवरणों को समुचित स्थानों पर विधिवत रूप से पूर्णतया कोडबद्ध किया गया है।

यदि दृष्टि दिव्यांग (दृ.दि.) श्रेणी से संबंधित कोई अभ्यर्थी अपने श्रेणी कोड को नहीं लिखता है और उसे सही तरीके से कोडबद्ध नहीं करता है तो उन्हें दृ.दि. श्रेणी से संबंधित नहीं माना जाएगा।

13. चयन का तरीकाः

अभ्यर्थियों की केवल लिखित परीक्षा (प्रशनपत्र-I और प्रश्नपत्र-II) में उनके निष्पादन के आधार पर छंटाई की जाएगी। उपयोक्ता विभागों को अभ्यर्थियों का आबंटन उनकी योग्यता स्थिति और उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर किया जाएगा।

परन्तु अजा, अजजा, अपिव और शा. दि. श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं,उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अजा, अजजा, अपिव और शा.दि. अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा,अजजा, अपिव और शा.दि. श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारिक्षत श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए जाएं ।

किसी भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक दिव्यांग (अ.दि./दृ.दि./श्र.दि./प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित) श्रेणी के अभ्यर्थी को, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो । आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुशंसित किया जा सकता है । जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता ।

परीक्षा में सफलता मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सरकार यथा आवश्यक जांच के उपरांत संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी हर प्रकार से सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त है।

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनन्तिम होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करते हों । यदि किसी भी समय जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

परीक्षा के आधार पर नियुक्त हुए अभ्यर्थी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे और परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करें या ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करें । परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने लेने पर यदि अभ्यर्थियों को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, तो अभ्यर्थियों को उनके पदों पर स्थायी कर दिया जाएगा ।

14. <u>परीक्षा में प्रवेशः</u>

सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं, उन्हें अनुक्रमांक दिया जाएगा । जो परीक्षा तिथि से कम से कम दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा । <u>आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें</u> । ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

परीक्षा के प्रवेश पत्र(प्र.प.) जिनमें प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा की समय सूची तथा परीक्षा स्थल की जानकारी दी जाएगी, परीक्षा तिथि से लगभग दो सप्ताह पहले संबंधित आयोग की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। इसे डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने की सुविधा भी साथ-साथ उपलब्ध होगी । यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण जैसे पंजीकरण आईडी, एसबीआई की संचालन आईडी, चालान की प्रति इत्यादि के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय /उप-क्षेत्रीय कार्यालय से प्रवेश प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त फोटोग्राफ हालही का, सहज चेहरे वाला, रंगीन फोटो हो तथा रंगीन फोटो , हल्के रंग की प्राथमिक रूप से सफेद पृष्ठभूमि में खींची गई होनी चाहिए। यदि फ्लेश का प्रयोग किया गया है तो सुनिश्चित करें कि कोई आँख लाल न हो, चश्मे वाली फोटो के मामले में आंखें दिखाई देनी चाहिए। पूरी फोटो में चेहरे का आकार 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ 8 बिट जेपीजी फॉर्मेट में हो तथा इसका आकार 100X 120(पिक्सल) रेजॉल्यूशन सहित 4 केबी से 12 केबी के बीच होना चाहिए।

कम से कम एक मूल फोटो आईडी जैसे मतदान आइडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा उस सरकारी अथवा अन्य कार्यालय द्वारा जारी किया गया आईडी, जहाँ अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, लाना अनिवार्य है। ऐसे आईडी कार्ड को न लाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अभ्यर्थी, यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक की उपस्थिति में आयोग की प्रवेश प्रमाणपत्र की कॉपी में चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार का 3 फोटोग्राफ अवश्य लाए। फोटोग्राफ न लाने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के पूरा होने तक आवेदन पत्र में अपलोड/चिपकाए गए फोटोग्राफ की 10 प्रतियां अपने पास रखें।

15. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

उन मामलों में जहाँ अभ्यर्थी एक समान कुल प्राप्तांक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

i) लिखित परीक्षा के प्रथम भाग में अंकों को देखकर ।
ii) जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।
iii) नामों के वर्णानुक्रम पर विचार करते हुए, जिसमें पहले आने वाले नाम पर विचार किया जाएगा।

16. वरीयता

(क) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में उस पद का नाम दर्शाना अपेक्षित है जिसमें कि उन्हें कर्मचारी चयन अयोग द्वारा संस्तुत किए जाने पर वरीयता क्रम में अंतिम आबंटन के लिए उनके नाम पर विचार किया जा सके। चयनित अभ्यर्थियों को पदों का आबंटन योग्यता सूची तथा वरीयता क्रम में उनकी स्थिति को देखकर किया जाएगा। यह उस पद में रिक्तियों की उपलब्ध संख्या को देखकर किया जाएगा। इस उद्देश्य से पदों को निम्नानुसार वर्गीकृत तथा कोडबद्ध किया गया हैः-
(ए) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में कनिष्ठ अनुवादक (के.स.रा.भा.से)
(बी) रेल मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवादक (रेलवे बोर्ड)
(सी) सशस्त्र सेना मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवादक (स.से.मु.)
(डी) अधीनस्थ कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने क.अनु./क.हि.अनु. के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मॉडल भर्ती नियमों को अपनाया है।
(ई) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

(एफ) अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने अब तक क.अनु./क. हिन्दी अनु. के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मॉडल भर्ती नियमों को नहीं अपनाया है।

(जी) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी प्राध्यापक (के.हि.प्र.स.)।

17. आयोग का निर्णय अंतिमः

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, चयनित अभ्यर्थियों को पदों/संगठनों के चयन तथा आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

दुर्व्यवहार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाईः

अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि उन्हें आवेदन भरते समय कोई गलत विवरण नहीं देना चाहिए अथवा कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी भी दी जाती है कि उन्हें कोई हेर-फेर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अथवा दस्तावेज में अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाणित प्रति में कोई गलत प्रविष्टि नहीं करनी चाहिए न ही उन्हें नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए। यदि ओएमआर पत्रक भरने में कोई अशुद्धि अथवा कोई विसंगति पाई जाती है, तो उन्हें 'शून्य ' अंक दिए जाएंगे।

निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के संबंध में उनके विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई/वारित किए जाने के पूर्वाग्रह के बिना आयोग की परीक्षा से जहाँ भी आवश्यक हो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी :

(i) परीक्षा केन्द्र के परिसरों में मोबाइल फोन एवं ईयरफोन कोर्ड सहित अन्य सामग्री तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक गैजिट अपने पास रखने पर, चाहें इनका प्रयोग हो रहा है या बन्द हो ।

(ii) परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर

(iii)किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त किया हो ।

(iv)किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराया हो ।

(v) जाली दस्तावेज अथवा ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनमें हेर-फेर किया गया हो ।

(vi)गलत अथवा झूठे वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया गया है ।

(vii) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया हो ।

(viii) परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक, निरीक्षक अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया हो ।

(ix)परीक्षा संचालन के दौरान परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका अपने साथ उठाकर ले गया हो या इसे परीक्षा के दौरान अप्राधिकृत व्यक्ति को दिया हो ।

(x) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ।

(xi)विज्ञप्ति में उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूरा न करना।

(xii) कोई अन्य आधार जिसे आयोग अभ्यर्थिता र÷ करने के लिए पर्याप्त कारण समझे।

18. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

19. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने तथा आवेदन पत्र भरने के लिए अनुदेश संबंधी विस्तृत अनुदेश के लिए अनुबंध-I, II-क तथा II-ख देखने की सलाह दी जाती है।

20. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश।

(i) यह परीक्षा लिखित परीक्षा होगी जिसमें दो प्रश्नपत्र होंगे।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए आवेदन केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इसके लिए पात्र हैं। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता र÷ कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(iii) अजा/अजजा/अपिव/शा. दि./शारीरिक रूप से दिव्यांग/प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात /भूपूसै के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास आवेदन के समय इस विज्ञप्ति में दिए अनुसार अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।

(iv) केवल 40% और उससे अधिक की दृष्टि दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दृष्टि दिव्यांग(दृ. दि.)/शाररीरिक दिव्यांग (शा.दि./शा. रूप से दिव्यांग) माना जाएगा और वे दृ.दि/शा.दि. अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।

(v) आयु में छूट का दावा करने वाले केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को अपने कार्यालय से लगातार सेवा की अवधि के संबंध में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तत्काल पूर्व अवधि में कम से कम तीन वर्ष की लगातार सेवा अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए । उनके चयन की स्थिति में उनकी नियुक्ति के समय तक वे केन्द्र सरकार सिविल कर्मचारी होने चाहिए ।

(vi) शुल्कः एक सौ रुपए केवल(100/-रुपए)

महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से दिव्यांग और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आवेदन शुल्क भरने से छूट है।

(vii) अंतिम तिथि : 30.04.2016 (सायं 5:00 बजे तक),भाग-I पंजीकरण 28.04.2016 (सायं 5:00 बजे)तक तथा भाग-II पंजीकरण 30.04.2016 (सायं 5:00 बजे)तक।

(viii) अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, आनॅलाइन जमा कराया जाए । ऑनलाइन आवेदन के लिए बहुविध आवेदनों के मामले में अंतिम आवेदन जिसके लिए भाग-I और भाग-II पंजीकरण पूरा कर लिया गया है स्वीकार किया जाएगा ।

(ix) परीक्षा केन्द्रों के परिसर के अंदर मोबाइल ईयरफोन, कनेक्टेड कोर्ड और अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पाबंदी है । परीक्षा हॉल के अंदर इस प्रकार के किसी उपकरण के पाए जाने पर, चाहे वह उपयोग में हो अथवा बंद हो उसे अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए समझा जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । उनके विरुद्ध आयोग द्वारा आपराधिक कार्रवाई एवं 3(तीन) वर्ष तक उन्हें आयोग की परीक्षा से वारित किया जा सकता है।

(x) इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । भाग-I रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 02.04.2016 से 28.04.2016 (सायं 5.00बजे)तक और भाग-II रजिस्ट्रेशन के लिए 30.04.2016 (सायं 5.00 बजे)तक उपलब्ध होगी । अभ्यर्थियों को आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर और शुल्क भुगतान का ब्यौरा अपने पास रखना चाहिए । उन्हें आयोग में अपने आवेदन का प्रिंट आऊट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(xi) अभ्यर्थी पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फोटोग्राफ जरूर लाए। फोटोग्राफ न लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगा।

(xii) यदि प्रवेश प्रमाणपत्र तथा/अथवा उपस्थिति पुस्तिका की आयोग की प्रति में मौजूद स्कैन किया गया फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं है तो निरीक्षक को अभ्यर्थी के फोटो आईडी प्रमाण पहचान पत्र से उसकी पहचान सत्यापित करनी अपेक्षित है तथा प्रवेश प्रमाण पत्र तथा अथवा उपस्थिति पुस्तिका की आयोग की प्रति में रंगीन फोटोग्राफ चिपकाना अपेक्षित है। तदनुसार अभ्यर्थियों को निरीक्षक के उपस्थिति में प्रवेश प्रमाणपत्र की आयोग की प्रति में चिपकाने के लिए पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ लाना चाहिए। फोटोग्राफ न लाने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiii) सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।

(xiv) लिखित परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाणपत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट से लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है।

(xv) अभ्यर्थियों को अपनी शिकायतें,यदि कोई हैं, के जल्द निवारण के लिए आवेदन पत्र में आधार संख्या देने की सलाह दी जाती है। तथापि यह देना अनिवार्य नहीं है।

अवर सचिव(नीति एवं योजना-II)

अनुबंध-।। क

विवरणिका

आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

। आयोग अपनी सभी परीक्षाओं में मानक आवेदन पत्र प्रयोग करता है । आवेदन पत्र भरने से पहले अपने स्वयं के हित में परीक्षा की विज्ञप्ति में और नीचे भी दिए गए अनुदेशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ ले ।

।। आवेदन पत्र में अधिकतर मदों के लिए अनुदेश दिए गए हैं जिसे खाने भरने से पहले सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए । जिन मदों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है, नीचे दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें ।

।।। आवेदन पत्र में दिए गए प्रत्येक मदों को भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों को पढ़ें :-

कॉलम 1. परीक्षा केन्द्र का नाम और 2. परीक्षा केन्द्र कोड
परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-10 देखें

कॉलम 12.1 आयु में छूट प्राप्त करने के लिए कोड
परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 5 ख देखें

कॉलम 14. पदों के लिए वरीयता

(ए) केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में कनिष्ठ अनुवादक (के.स.रा.भा.से)
(बी) रेल मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवादक (रेलवे बोर्ड)
(सी) सशस्त्र सेना मुख्यालय में कनिष्ठ अनुवादक (स.से.मु.)
(डी) अधीनस्थ कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने क.अनु./क.हि.अनु. के लिए का. एवं प्र. विभाग के मॉडल भर्ती नियमों को अपनाया है।
(ई) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (एफ) अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ अनुवादक/कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने अब तक क.अनु./क. हिन्दी अनु. के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मॉडल भर्ती नियमों को नहीं अपनाया है।
(जी) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान में हिन्दी प्राध्यापक (के.हि.प्र.स.)।

कॉलम 15. यदि कोई अभ्यर्थी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित है तो वह इसे '1' के माध्यम से दर्शाए। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित न होने वाले अभ्यर्थी इस कॉलम में निरपवाद रूप से '2' दर्शाए।

कॉलम 16.1. दृदि अभ्यर्थी तथा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित अभ्यर्थी यदि प्रलिपिक के लिए विकल्प देते हैं तो उन्हें उस माध्यम को विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिसमें वह लिखित परीक्षा देने के लिए इच्छूक है।: प्रलिपिक की व्यवस्था आयोग द्वारा तदनुसार की जाएगी।

कॉलम 17. शैक्षिक योग्यता और विषय कोड : क्रमशः अनुबंध -IX और अनुबंध-X देखें
यदि किसी भी विशिष्ट शैक्षिक योग्यता अथवा विषय का कोड नहीं दिया गया है तो 'अन्य' का प्रयोग करें ।

कॉलम 19. पत्रव्यवहार के लिए पता
अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में नाम सहित पत्रव्यवहार का पूरा पता लिखें । खाने में 6 अंकों का पिन लिखना न भूलें ।

कॉलम 20. फोटोग्राफ

इसके बाद 8 बिट जेपीजी फॉर्मेट में हाल ही का स्कैन किया गया फोटोग्राफ अपलोड करे।फाइल का डिजिटल आकार 12 केबी से कम तथा 4 केबी से ज्यादा और इसका रेजॉल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।

इसके बाद 8 बिट जेपीजी फॉर्मेट में अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें। फाइल का डिजिटल आकार 12 केबी से कम और 1 केबी से ज्यादा और रेजॉल्यूशन 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊँचाई का होना चाहिए।

कॉलम 21. अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर रहित आवेदन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिए जाएंगे ।

टिप्पणीः एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

अनुबंध-।।ख

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार उपलब्ध होंगेः-

भाग -। पंजीकरण	28.04.2016	सायं 5.00 बजे तक
भाग-।। पंजीकरण	30.04.2016	सायं 5.00 बजे तक

2. आवेदन वेबसाइट http://ssconline.nic.in पर ही ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले इस विज्ञप्ति के अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ने चाहिएं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए। अनिवार्य क्षेत्रों को *(तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म निम्नलिखित दो भागों में भरे जाएंगे :

भाग-। पंजीकरण
भाग-।। पंजीकरण

3. भाग। पंजीकरण में अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार करने का सुझाव दिया जाएगा।

4. घोषणा करने के बाद जब अभ्यर्थी यह देखें कि उसके द्वारा दी गई सूचना क्रम में है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो वह "मै सहमत हूँ" का बटन दबा सकता है। उसके बाद किसी सुधार/संशोधन आदि की अनुमति नहीं होगी।

5. उसके बाद पंजीकरण सं. वाला पेज स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा उस पेज का प्रिंट आऊट निकाल लें। भाग-।। पंजीकरण के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है। भाग ।। पंजीकरण में भुगतान संबंधी विवरण भरना, फोटोग्राफ और स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है। अभ्यर्थी नोट कर लें कि आयोग द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या और बैंक की कार्य-संव्यवहार आई डी को संगत स्थानों में समुचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए जिसके बिना इसे भाग-। पंजीकरण के साथ संबद्ध करना संभव नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन केवल तभी पूरे होंगे यदि अनुदेशों के अनुसार स्कैन किए हुए हस्ताक्षर और फोटो अपलोड किए गए होंगे।

6. भारतीय स्टेट बैंक नेट बैंकिंग / डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के इच्छुक अभ्यर्थी भाग-। पूरा करने के बाद सीधे भाग ।। में जा सकते हैं। अभ्यर्थी को भाग ।। पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि उपलब्ध करानी होगी।

7. शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी भाग-। पंजीकरण को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार किए गए चालान का प्रिंट ले सकता है। यह अपेक्षित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और भाग-।। पंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखें।

8. जिन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे 6 से 8 चरण को छोड़ सकते हैं।

9. उसके बाद 8-बिट जे पी जी फोर्मेट में हाल में खींचा व स्कैन किया गया फोटो अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से कम और 4 के.बी से ज्यादा और रेजॉल्यूशन 100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊचांई का होना चाहिए ।

10. उसके बाद 8 बिट जे पी जी फोर्मेट में अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें । फाइल का डिजीटल आकार 12 के.बी. से कम और रेजॉल्यूशन 1 के.बी से ज्यादा तथा 140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊचांई का होना चाहिए ।

11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक अनुदेशों को पढ़ लें ।

12. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । आवेदन पत्र में भरे गए किसी भी विवरण में जिस भी कारण से किए गए किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन को न स्वीकार किए जाने से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।

13. फोटोग्राफ हस्ताक्षर के बिना अथवा धुंधला फोटोग्राफ हस्ताक्षर युक्त अथवा किसी अन्य रूप में अपूर्ण आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

अनुबंध-III

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 5(ख) देखें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो आवेदन की अंतिम तिथि को इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा के साथ----------रु. के वेतनमान में----------के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं।

हस्ताक्षर_____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थानः

दिनांकः

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

अनुबंध IV

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी-।।।देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) .....(रैंक).....(नाम)..... .....(दिनांक).....को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थानः (कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

अनुबंध - V

विज्ञप्ति के पैरा 5(ख)की टिप्पणी ।।। के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूं कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979 की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूं ।

मैं यह भी समझता/समझती हूं कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूं :

क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि _____

ख) कार्यमुक्ति की तिथि _____

ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि _____

घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर _____

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध - VI

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उ-ेश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..... ....

पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा* .....

जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*.....के .....

जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*.....
संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*.....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* .....के माता/पिता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा*.....जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..... को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... .जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो..... दिनांक ....द्वारा जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*..... जिला/संभाग*.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

स्थान..... (कार्यालय की मुहर सहित)
दिनांक.....
*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणीः- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

**जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

<u>टिप्पणी :-</u> तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु

.....पुत्र/पुत्री

..... ग्राम/कस्बा
.....
जिला/संभाग .....राज्य .....
समुदाय से संबंधित हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार संकल्प सं..... दिनांक.....* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु0 .... तथा/या उनका परिवार सामान्यतः..... .... राज्य के ..... जिला/संभाग में रहता/रहते हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993** के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93 स्था.(एससीटी) की अनूसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश.....
या उपायुक्त आदि.....

दिनांकः
मुहरः

---

* प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्यौरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित किया गया है ।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

अनुबंध -VIII(प्रारूप-II)

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले में एवं अधांपन के मामले में)

(नियम 4 देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ----------जन्म तिथि ----------आयु..... (दि./म/.व.)

.....पुरूष/महिला---------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....

जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ किः-

उनका मामला :
गतिविषयक विकलांगता
नेत्रहीनता का है
(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)
उनके मामले में.....निदान किया गया है ।

वे दिशानिर्देशों के अनुसार अपने.....(शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में .....%(अंकों में).....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीडित हैं ।

अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VIII(प्रारूप-III)

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु दिव्यांगता के मामले में)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ----------जन्म तिथि ----------आयु..... (दि./म/.व.)

.....पुरूष/महिला---------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ किः-

(क) उनका मामला बहु-विकलांगता का है । निःशक्तता के लिए दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे मार्क करके निम्नलिखित सारणी में संगत निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है ः

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	X		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिशा-निर्देशानुसार(ब्यौरा दिया जाए) उनका/उनकी समग्र शारीरिक क्षति निम्नानुसार है :-

अंकों में.....प्रतिशत

शब्दों में .....प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .....वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।

तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध -VIII(प्रारूप-IV)

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रारूप ।। एवं ।।। में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

(नियम 4 देखें)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणपत्र संख्या..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ----------जन्म तिथि ----------आयु..... (दि./म/.व.)

.....पुरूष/महिला---------- की सावधानीपूर्वक जांच की है ।

पंजीकरण संख्या.....स्थायी आवास मकान नं.....

वार्ड/गांव/गली.....डाकघर.....जिला.....

राज्य.....जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि उनका मामला.....निःशक्तता है । निःशक्तता के लिए(ब्योरा दिया जाए) दिशा निर्देशानुसार(ब्योरा दिया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक क्षति/निःशक्तता के स्तर का मूल्यांकन किया गया है एवं इसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के सामने दर्शाया गया है :-

क्रम सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक विकलांगता(%में)
1.	गति विषयक विकलांगता	@		
2.	अल्प दृष्टि	#		
3.	नेत्रहीनता	दोनो आँखें		
4.	श्रवण विकलांगता	$		
5.	मानसिक मंदता	&		
6.	मानसिक बीमारी	X		

(कृपया उस निःशक्तता को काट दे जो लागू न हो)

उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

निःशक्तता का पुनःनिर्धारण :

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .....वर्ष .....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और

इसलिए यह प्रमाणपत्र .... तक मान्य रहेगा ।
तारीख माह वर्ष

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

$ उदाहरणत : बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर

(नाम एवं मुहर)

यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी हस्पताल के प्रमुख के प्रति हस्ताक्षर एवं मुहर

टिप्पणी : यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हों ।

टिप्पणीः यह मुख्य नियम अधिसूचना संख्या एसओ 908 (ई) दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

टिप्पणी : यदि प्रमाणपत्र जारी करने वाला चिकित्सा प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह तभी मान्य होगा जब उस पर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर हों ।

अनुबंध I X

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
अनुवाद में प्रमाण-पत्र	03
अनुवाद में डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए(आनर्स)	06
बी.कॉम	07
बी.कॉम(आनर्स)	08
बी.एस.सी	09
बी.एस.सी(आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी	12
बी.ई.	13
बी.टैक	14
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	15
बी.एस.सी(इंजी.)	16
बी.सी.ए	17
बी.बी.ए	18
रक्षा(भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी.डिप्लोमा	24
एम.ए	25
एम.कॉम	26
एम.एस.सी.	27
एम.एड	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम.एस.सी(इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

अनुबंध -X

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	01
राजनीति विज्ञान	02
अर्थशास्त्र	03
अंग्रेजी/अंग्रेजी साहित्य	04
हिंदी/हिन्दी साहित्य	05
भूगोल	06
वाणिज्य	07
विधि	08
भौतिक विज्ञान	09
रसायन विज्ञान	10
गणित	11
सांख्यिकी	12
वनस्पति शास्त्र	13
प्राणी विज्ञान	14
कृषि विज्ञान	15
सिविल अभियांत्रिकी	16
वैद्युत अभियांत्रिकी	17
यांत्रिक अभियांत्रिकी	18
इलैक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी	19
इलैक्ट्रोनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	20
इलैक्ट्रोनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	21
इलैक्ट्रोनिकी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी	22
कृषि अभियांत्रिकी	23
कम्प्यूटर विज्ञान	24
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	25
सूचना प्रौद्योगिकी	26
पुस्तकालय विज्ञान	27
लेखाशास्त्र	28
वर्क एकाऊटैंसी	29
व्यापार प्रबंधन	30
जन संचार	31
पत्रकारिता	32
जन संचार एवं पत्रकारिता	33
फॉर्मेसी	34
फोटोग्राफी	35
मुद्रण प्रोद्यौगिकी	36
नर्सिंग	37
असमी	38
बंगाली	39
मलयालम	40
तेलुगु	41
कन्नड	42

तमिल	43
मराठी	44
गुजराती	45
उर्दू	46
संस्कृत	47
अन्य	48